दिल्ली की धनवापसी शाखा के क्लर्कों को वरिष्ठता

4390. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वरिष्ठ सब-जज, दिल्ली के आदेश पर अन्य रेलवे विभागों से उत्तर रेलवे में पारस्परिक रूप से स्थानान्तरित किये गये धन वापसी शाखा, दिल्ली के क्लर्कों को उनकी भरती की तारीख से वरिष्ठता दी गई है; और

(ख) यदि हां तो पारस्परिक रूप से स्थानान्तरित किये गये धन वापसी शाखा दिल्ली के अन्य क्लर्कों को ऐसी वरिष्ठता न देने के क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) उत्तर रेलवे की रिफण्ड शाखा में कार्यरत कोई भी क्लर्क वरिष्ठ सब-जज, दिल्ली के आदेश पर अन्य रेलवे से नहीं आया है और न ही रिफण्ड शाखा में पारस्परिक अदला-बदली के आधार पर स्थानान्तरित किसी कर्मचारी को उसकी नियुक्ति की मूल तारीख से वरिष्ठता दी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारियों की वरियता

4391. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्रेलवे परस्पर स्थानान्तरण के समय कर्मचारियों को वरीयता पर विचार करने के लिए वर्ष 1961 से पूर्व क्या मानदण्ड अपनाए जाते थे; और

(ख) पूर्वोत्तर रेलवे से उत्तर रेलवे की धनवापिसी शाखा (रिफण्ड ब्रांच) में इस प्रकार ऐसे कितने कितने कर्मचारियों का स्थानान्तरण हुआ था, जिन्हें लिपियों में क्रमशः अपनी नियुक्ति की तारीख से तथा सेवा में प्रवेश की तारीख से वरीयता प्रदान की गई थी ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 16-5-1961 से पहले अन्य रेलों से उत्तर रेलवे में पारस्परिक अदला-बदली के आधार पर स्थानान्तरित रेल कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची संगत ग्रेड मे सभी मौजूदा स्थाई और स्थानापन्न कर्मचारियों के नीचे कार्यग्रहण की तिथि से विनियमित की जाती थी।

(ख) पूर्वोत्तर रेलवे से उत्तर रेलवे की रिफण्ड शाखा में 16-5-1961 से पहले स्थानान्तरित कर्मचारियों की संख्या 5 है। उन सभी को वरिष्ठता उपयुक्त आधार पर उत्तर रेलवे में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से निर्धारित की गई है।

आयुर्वेद और होम्योपैथिक डिस्पेंसरियां

4392. **श्री राम अवध** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन स्थानों पर आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक औषधालय खोले गए हैं; और

(ख) तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली, पुणे, बम्बई, जयपुर, अहमदाबाद और लखनऊ में आयुर्वेद और होम्योपैथी के यूनिट खोलने का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।